vinoba

भूदान-यज्ञ

भूदान-यज्ञ मूलक ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक क्रान्ति का सन्देशवाहक – साप्ताहिक

सर्व सेवा संघ का मुख पत्र

वर्ष : १५ अंक : २७

सोमवार ७ अप्रैल, '६९

अन्य पृष्ठों पर

सर्वसम्मति या सर्वानुमति निर्णय तक पहुँचने की पद्धति ३३०

एक-एक दिन —सम्पादकीय ३३१

भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और "मोहब्बत का पैगाम"—विनोबा ३३२

विनोबा-निवास से ३३३

राज्यदान के बाद क्या और कैसे ? —कृष्णकुमार ३३५

परिशिष्ट

"गाँव की बात"

स्वाध्याय का अर्थ प्रायः आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करना समझते हैं, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य है अपनी सब चीजों को अलग करके स्वयं को पहचानना, अपनी परीक्षा करना। इसके लिए मदद में कोई भी ग्रन्थ लिया जा सकता है। लेकिन होना यह चाहिए कि हम अपने को परख रहे हैं, अपनी 'स्टडी' कर रहे हैं, अपनी भावनाएँ आदि को देख रहे हैं। —विनोबा

सम्पादक
राममूर्ति

सर्व सेवा संघ प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी–१, उत्तर प्रदेश
फोन : ४२८५

पूर्व का संदेश

[दिल्ली में ता० २-४-४७ के दिन एशियाई कान्फरेन्स की आखिरी बैठक में भाषण करते हुए गांधीजी ने बताया कि पश्चिम को ज्ञान की रोशनी पूर्व से ही मिली है। इस सिलसिले में उन्होंने आगे कहा :]

इन विद्वानों में सबसे पहले जरथुश्त हुए थे। वे पूरब के थे। उनके बाद बुद्ध हुए, जो पूरब के—हिन्दुस्तान के—थे। बुद्ध के बाद कौन हुआ ? ईशु ख्रिस्त। वे भी पूरब के थे। ईशु से पहले मोजेज हुए, जो फिलस्तीन के थे, अगरचे उनका जन्म मिस्र में हुआ था। ईशु के बाद मुहम्मद हुए। यहाँ मैं राम, कृष्ण और दूसरे महापुरुषों का नाम नहीं लेता। मैं उन्हें कम महान नहीं मानता। मगर साहित्य-जगत उन्हें कम जानता है। जो हो, मैं दुनिया के ऐसे किसी एक भी शख्स को नहीं जानता, जो एशिया के इन महापुरुषों की बराबरी कर सके। और तब क्या हुआ ? ईसाइयत जब पश्चिम में पहुँची, तो उसकी शकल बिगड़ गयी। मुझे अफसोस है कि मुझे ऐसा कहना पड़ता है। इस विषय में मैं और आगे नहीं बोलूँगा।...जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वह एशिया का पैगाम है। उसे पश्चिमी चश्मों से या एटम-बम की नकल करने से नहीं सीखा जा सकता। अगर आप पश्चिम को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वह प्रेम और सत्य का पैगाम होना चाहिए।... जमहूरियत के इस जमाने में, गरीब-से-गरीब की जागृति के इस युग में, आप ज्यादा-से-ज्यादा जोर देकर इस पैगाम का दुनिया में प्रचार कर सकते हैं। चूँकि आपका शोषण किया गया है, इसलिए उसका उसी तरह बदला चुकाकर नहीं, बल्कि सच्ची समझदारी के जरिये आप पश्चिम पर पूरी तरह से विजय पा सकते हैं। अगर हम सिर्फ अपने दिमागों से नहीं, बल्कि दिलों से भी इस पैगाम के मर्म को, जिसे एशिया के ये विद्वान हमारे लिए छोड़ गये हैं, एकसाथ समझने की कोशिश करें और अगर हम सचमुच उस महान पैगाम के लायक बन जायँ, तो मुझे विश्वास है कि पश्चिम को पूरी तरह से जीत लेंगे। हमारी इस जीत को पश्चिम खुद भी प्यार करेगा।

पश्चिम आज सच्चे ज्ञान के लिए तरस रहा है। अणु-बमों की दिन-दुनी बढ़ती से वह नाउम्मीद हो रहा है। क्योंकि अणु-बमों के बढ़ने से सिर्फ पश्चिम का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का नाश हो जायेगा; मानो बाइबिल की भविष्यवाणी सच होने जा रही है और पूरी कयामत होनेवाली है। अब यह आपके ऊपर है कि आप दुनिया की नीचता और पापों की तरफ उसका ध्यान खींचें और उसे बचायें।...यही विरासत है, जो मेरे और आपके पैगम्बरों से एशिया को मिली है।

मो. क. गांधी

"हरिजन सेवक" : २०–४–'४७

सर्वसम्मति या सर्वानुमति निर्णय तक पहुँचने की पद्धति

[आन्ध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में आगामी २३, २४, २५ अप्रैल, '६९ को आयोजित होनेवाले सर्व सेवा संघ के अधिवेशन में संघ के अध्यक्ष का चुनाव होगा। सर्व सेवा संघ के विधान और लोकनीति के विचार के अनुसार चुनाव सर्वसम्मति या सर्वानुमति से ही होना चाहिए। लेकिन सर्वसम्मति या सर्वानुमति तक पहुँचने की पद्धति क्या हो ? यह एक चिंतन का विषय है। यहाँ हम श्री जयप्रकाश नारायण की पुस्तक 'लोक-स्वराज्य' से इस विषय पर प्रकाश डालनेवाला एक अंश प्रकाशित करते हुए कार्यकर्ता साथियों के विचार आमंत्रित कर रहे हैं। समय कम है, इसलिए अपने सुझाव जल्द भेजने की कृपा करें, ताकि अधिवेशन से पहले अंकों में उन्हें प्रकाशित किया जा सके। —सं०]

उम्मीदवारी के लिए नाम माँगे जायँ और प्रस्तावित तथा समर्थित नामों की सूची बता दी जाय और हो सके, तो एक अच्छे-से बोर्ड पर लगा दी जाय। यदि दो नामों से अधिक का प्रस्ताव न हो, तो आपसे-आप निर्वाचित प्रतिनिधि बन जाते हैं। अन्य सूची में हर नाम पर मतदान होना चाहिए। यह मतदान हाथ उठाकर होना चाहिए। हर उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों को बोर्ड पर दर्ज किया जाना चाहिए। दो से अधिक उम्मीदवारों की स्थिति में ऐसा मतदान बार-बार होना चाहिए और सबसे कम मत पानेवाले उम्मीदवारों को छाँटते जाना चाहिए।

यह चुनाव हो जाने के बाद निर्वाचन-परिषद् बुलानी चाहिए। निर्वाचन-परिषदों को निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़े करने चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित पद्धति अपनायी जा सकती है :

पहले उम्मीदवारों के नाम माँगे जायँ और तब हर प्रस्तावित और समर्थित नाम पर वोट लिये जायँ। एक निर्धारित प्रतिशत—उदाहरणतः ३० प्रतिशत—से अधिक मत पानेवाले व्यक्ति विधान-सभा या लोकसभा के लिए उस निर्वाचन-क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किये जाने चाहिए।

मेरा विचार है कि लोकतंत्र की चरितार्थता के लिए—यह लोकतंत्र चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो—इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उसकी प्रक्रियाओं में जितना कम मत-विभाजन हो, उतना ही अच्छा है। अधिक स्पष्ट शब्दों में, वह जहाँ तक सम्भव हो सके, एकतामूलक हो। इसलिए मेरा आग्रह है कि विविध शिक्षणात्मक और वैधानिक उपायों द्वारा एक सीट के लिए एक उम्मीदवार से ज्यादा न खड़े करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। क्योंकि आखिरकार, अंतिम रूप में पूरे निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति ही करता है, उम्मीदवारों की संख्या चाहे जितनी हो और चुनाव की विधि कोई भी क्यों न हो।....यदि निर्वाचन-परिषदों को केवल एक ही उम्मीदवार चुनने के लिए राजी किया जा सके, तो यह असंगति और व्यर्थ की उत्तेजना तथा बल और पैसे की बर्बादी बचायी जा सकती है। यदि कुछ क्षेत्रों में यह व्यावहारिक न हो तो ऊपर बताये ढंग से चुने गये व्यक्तियों के नाम उम्मीदवारों के रूप में घोषित कर दिये जायँ और तब अंतिम निर्वाचन निम्नलिखित ढंग से किया जाय।

निर्वाचन-परिषद् द्वारा चुने गये उम्मीदवारों के नाम सम्बद्ध निर्वाचन-क्षेत्र के सभी 'ग्रामसभाओं' के पास भेज दिये जायँ। फिर हर सभा आम बैठक का आयोजन करे, जिसमें हर उम्मीदवार के नाम पर मत लिये जायँ। उसके बाद निम्नलिखित दो विकल्पों में एक अपनाया जाय :

(१) सबसे अधिक संख्या में वोट पानेवाले उम्मीदवार के बारे में घोषणा कर दी जाय कि यह 'ग्रामसभा' अपने प्रतिनिधि के रूप में इस मनुष्य को उच्च 'सभा' में भेजना चाहती है। ऐसे सब व्यक्तियों में से, जिसे सभी ग्रामसभाओं में सबसे अधिक वोट मिले, उसे उस निर्वाचन-क्षेत्र से विधानसभा या लोकसभा (जिसके लिए भी चुना हुआ हो) का सदस्य घोषित किया जाय।

(२) विकल्पतः हर उम्मीदवार द्वारा हर ग्रामसभा की साधारण सभा में पाये गये वोटों को दर्ज कर लेना चाहिए। तब प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा पूरे निर्वाचन-क्षेत्र की विभिन्न ग्रामसभाओं की बैठकों में प्राप्त वोटों को जोड़ लिया जाय। इस प्रकार सबसे अधिक मत पानेवाला उम्मीदवार उस निर्वाचन-क्षेत्र का सदस्य हो जाता है।•

आन्दोलन के समाचार

उत्तराखण्ड सर्वोदय-कार्यकर्ता सम्मेलन

पर्वतीय ग्राम-स्वराज्य मण्डल, जयन्ती सालम, जिला अल्मोड़ा में ७ से ११ मार्च तक श्रम-शिविर सम्पन्न हुआ, जिसमें १६ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। १२ से १५ मार्च तक उत्तराखण्ड सर्वोदय-कार्यकर्ता सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इसी अवसर पर गांधी-शताब्दी शान्ति-सेना शिविर का भी आयोजन अ० भा० शान्ति-सेना मण्डल के प्रशिक्षक श्री अमरनाथ भाई के मार्गदर्शन में किया गया। इस शिविर में १० ग्रामीण बहनों और २० भाइयों ने भाग लिया।

इस सम्मेलन और शिविर द्वारा हजारों भाई-बहनों के पास गांधीजी का सर्वोदय-विचार पहुँचा है। सर्वश्री दिवान सिंहजी, सुन्दरलालजी, देवी पुरस्कार पांडे, राधा-बहन तथा शान्तिबहन गुरुरानी ने सालम की जनता से जिलादान के आन्दोलन में भाग लेकर पूरे जिले का नेतृत्व करने की अपील की।

—गोविन्द सिंह कुंजवाल

भरुच जिले में ग्रामदान-अभियान

बड़ौदा, १८ मार्च। गुजरात सर्वोदय-मण्डल के अन्तर्गत २९ मार्च से ५ अप्रैल तक भरुच जिले की राजपीपला तहसील में ग्रामदान-अभियान आयोजित किया जा रहा है। उड़ीसा के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और सर्वोदय-सेवक डा० दयानिधि पटनायक शिविर एवं अभियान का मार्गदर्शन करेंगे। अभियान में लगभग १०० कार्यकर्ता भाग लेंगे। (सप्रेस)

अमरावती जिले में साहित्य-प्रचार

अमरावती जिले के वरुड़ और नांदगांव प्रखण्ड में कुल १३७६ रुपये की साहित्य-बिक्री हुई। 'साम्ययोग' पत्रिका के २५१ ग्राहक बनाये गये।

www.vinoba.in

सम्पादकीय

एक-एक दिन

ग्रामदान ग्रामस्वराज्य का 'नमक' है। इसी रूप में हम लोगों ने शुरू से ग्रामदान को देखा है। कभी किसीने यह नहीं माना कि ग्रामदान से हम अपनी यात्रा के किसी ऐसे मुकाम पर पहुँच जायेंगे जहाँ इतमीनान के साथ बैठकर आराम किया जा सकेगा। इसीलिए ग्रामदान के बाद प्रखण्डदान, प्रखण्डदान के बाद जिलादान, और जिलादान के बाद राज्यदान की बात आयी। बात सिर्फ आयी ही नहीं, बल्कि जैसे-जैसे बात बनती गयी, वह बढ़ती गयी और हम आन्दोलन के नये क्षितिज देखते गये। ऐसे मित्रों की कमी नहीं थी जो ग्रामदान के बाद रुक जाना चाहते थे, और ग्रामदानी गाँवों को विकास और रचनात्मक कार्य का नमूना बनाकर ही आगे बढ़ना चाहते थे। उनको बहुत निराशा हुई जब ग्रामदान की हमारी गाड़ी रुकी नहीं, और एक के बाद दूसरे 'दान' की ओर बढ़ती ही चली गयी। वे यही कहते रहे : 'अब कब करोगे ?'

अगर हम ग्रामदान पर रुक गये होते तो क्या होता ? आज हम कहाँ होते ? गाँव जीने-मरने की इकाई भले ही हो, लेकिन विकास की इकाई प्रखंड है, प्रशासन की इकाई जिला है, और राजनीति की इकाई स्वयं राज्य है। देश की गतिविधि को समझनेवाला कौन ऐसा है जो मानेगा कि राज्य की राजनीति जैसी है वैसी ही चलती रहे, लेकिन जिले का प्रशासन बदल जाय, और प्रखंड में विकास की रीति-नीति बदल जाय ? जाहिर है कि जबतक राज्य की राजनीति नहीं बदलेगी तबतक जिले या प्रखण्ड में कोई ठोस परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। बल्कि कई काम तो ऐसे हैं जो तभी होंगे जब दिल्ली में परिवर्तन होगा।

क्या हम ग्रामदान के अभियान में इसीलिए लगे थे कि कुछ गाँवों में विकास और निर्माण के कुछ छोटे-मोटे काम हो जायँ ? अगर उतना ही करना होता तो क्रान्तिकारी नारोंवाले एक तूफानी आन्दोलन की क्या जरूरत थी ? ग्रामदान में तो हमने कुछ दूसरा ही दृश्य देखा था। वह दृश्य क्या था ? एक नये समाज का। कैसा समाज ?

ऐसा समाज जिसमें इनसान इनसान की तरह रह सके। आज का समाज ऐसा नहीं है; बल्कि ऐसा है जिसमें करोड़ों लोग चाहते हुए भी इनसान की जिन्दगी नहीं बिता सकते। सारी व्यवस्था ही सड़ गयी है। उसको जड़ से बदले बिना सबके विकास का रास्ता निकल ही नहीं सकता। समाज का आमूल परिवर्तन शुरू से ग्रामदान का संकल्प रहा है।

लेकिन संकल्प की पूर्ति कैसे होगी ? जिन जिलों का 'दान' हो चुका है, उनमें जनता हिल-डुल क्यों नहीं रही है ? क्या उसके हिले बिना भी परिवर्तन हो जायगा ? क्यों ग्रामदान का कार्यकर्ता जिलादान के बाद भी खोया हुआ है, और ग्रामदानी गाँवों के लोग सोये हुए हैं ? क्यों उनके कदम नहीं उठते ? कब उठेंगे ? भूमिवाला, पूँजीवाला, मजदूर, कार्यकर्ता, ये सब क्या सोच रहे हैं ?

कारण चाहे जो हो, लेकिन आज जो स्थिति है वह आगे के लिए अच्छी नहीं है। हम कीमती वक्त खो रहे हैं। ग्रामदान हो चुका, राज्यदान दूर नहीं है। ग्रामस्वराज्य का कदम नहीं उठ रहा है। दोनों के बीच की खाली जगह (वैकुअम) का बहुत बुरा असर हम और जनता, दोनों पर पड़ रहा है। इस 'वैकुअम' को जल्द-से-जल्द भरना चाहिए।

ग्रामदान समाज की चेतना को कई बिन्दुओं पर छूने में सफल हुआ है। वह सफलता हमारी पूँजी है। अब जरूरत इस बात की है कि वह चेतना सक्रिय हो, कुछ शक्ति दिखाई दे, समस्याओं को हल करने की बेचैनी पैदा हो। इस दृष्टि से शिविर तत्काल सबसे अधिक उपयोगी होंगे। जगह-जगह शिविरों का अभियान चलाने की जरूरत है। एक नया तूफान खड़ा किया जाना चाहिए। राज्य-स्तर का शिविर, जिले के शिविर, सब-डिवीजन के शिविर; यहाँ तक कि प्रखण्ड और पंचायत के भी शिविर हों। इन शिविरों में कार्यकर्ता और सहयोगी नागरिक, दोनों शरीक हों। सब दो-तीन दिन साथ रहें, और ग्रामदान की भूमिका में समस्याओं का हल सोचें। ये सब शिविर जनाधारित हों। इन शिविरों से ग्रामदान के बाद ग्रामस्वराज्य की यात्रा का शुभारम्भ किया जाय। कई जगहों में शुरुआत की भी जा रही है।

एक बात है जिसकी ओर हमारा ध्यान फौरन जाना चाहिए। हमने यह बार-बार कहा है कि ग्रामदान वर्ग-संघर्ष को नहीं मानता। ग्रामदान समाज को शोषक-शोषित में नहीं बाँटता। वह मालिक-मजदूर, दोनों को इस दूषित समाज-व्यवस्था का शिकार मानता है, और दोनों को उस दोष से मुक्त करना चाहता है। लेकिन अभी तक हम न तो मजदूर में आगे आनेवाले अच्छे दिनों का विश्वास जगा सके हैं, और न मालिक को भय से मुक्त ही कर सके हैं। ग्रामदान को मालिक की बुद्धि और भूमि तथा महाजन की पूँजी उतनी ही चाहिए जितनी मजदूर की मेहनत। ग्रामदान में सबके उचित हितों की रक्षा है; किसीको किसीसे भय खाने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें ग्रामदान में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमने व्यावहारिक दृष्टि से इन पहलुओं को समाज के सामने रखा नहीं है।

अब दो बातें लोगों के सामने साफ-साफ रखी जानी चाहिए। एक, लोक-शक्ति और 'दलमुक्त ग्राम-प्रतिनिधित्व' द्वारा उसकी अभिव्यक्ति; दूसरी, मालिक-महाजन-मजदूर सबको अभयदान। इसका व्यावहारिक स्वरूप लोगों के सामने बारीकी के साथ प्रस्तुत करने की जरूरत है।

ग्रामदान हो चुका लेकिन ग्रामदान को लेकर गाँव में लोग ग्रामस्वराज्य की ओर चल पड़ें इसके लिए समाज की चेतना को इन दो बिन्दुओं पर जगाना जरूरी है। यह काम इतना जरूरी है कि हर दिन जो बीत रहा है, हमें कमजोर कर रहा है। राज्यदान का काम रुके न लेकिन जिलादानी क्षेत्रों में आन्दोलन में गिरावट न आने दी जाय। दोनों मोर्चों पर काम जरूरी भी है और सम्भव भी है। •

www.vinoba.in

भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और "मोहब्बत का पैगाम"

भारत का इतिहास कम-से-कम बीस हजार साल पुराना है। पहला ग्रन्थ 'ऋग्वेद' बीस हजार साल पुराना है। इतना पुराना ग्रन्थ दुनिया के देशों में कहीं नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ा राज्य है, किन्तु तीन सौ साल पुराना है। भारत बीस हजार साल पुराना है। भारत ने अनेक को देखा, अनेक राज्य देखे। राजा-महाराजा आये और गये। राज्यों को चढ़ती-उतरती देखी। आर्य आये, अनार्य आये, मिस्र, चीन और मध्य एशिया के लोग, मुगल, मुसलमान, पारसी, क्रिस्ती और यहुदी आये। भारत ने सबका स्वागत किया। कोई तलवार लेकर आये, कोई तराजू लेकर, तो कोई किताब लेकर। किताब लेकर आनेवालों के साथ भारत ने चर्चा की और उनकी किताबों में जो अच्छा था वह ले लिया, पचा लिया। इस प्रकार ग्रन्थवालों को हजम किया। जो तराजू लेकर आये उनको व्यापार की सब सुविधाएँ भारत ने कर दीं—'इस ढंग से और ईमानदारी से व्यापार करो।' दूसरे देश में व्यापार करना हो तो वीसा, पासपोर्ट और व्यापार करने की स्वीकृति अलग से लेनी पड़े।

हिन्दुस्तान एक देश था। दो हुए। सब व्यापार बन्द। हिन्दुस्तान में जूट की मिलें थीं और पाकिस्तान में जूट के खेत। अब ढाका में मिल खड़ी है। कलकत्तेवालों को लगा कि वे कहाँ से जूट लायेंगे? तो उत्तेजन दिया जूट को खेती को। और जहाँ चावल होता था वहाँ जूट पैदा होने लगा। भारत में चावल इतना कम हो गया। बंगाल पहले अपने लिए चावल पैदा कर लेता था। अब दूसरे पर अवलम्बित हुआ। और उधर जूट के दाम कम हुए। कारण कि जूट दुगुना हुआ। पाकिस्तान में मिल और भारत में भी मिल; उत्पादन ज्यादा होने पर कीमत कम; खेती में चावल गँवाया और जूट की कीमत घटने पर पैसा गया; भारत को दोनों बाजू नुकसान, इसके बदले व्यापार चालू रहता तो सम्बन्ध अच्छा रहता।

भारत ने आज तक किसीको व्यापार करने की मना ही नहीं की। आनेवाले को ना नहीं कहा। सबका स्वागत किया। भारत के महान कवि टैगोर ने कहा—भारतेर महामानवेर सागर तीरे, ऐसो हे आर्य, ऐसो अनार्य।' भारत का अर्थ होता है सबका भरण-पोषण करनेवाली भूमि, स्वागत स्वीकार करना। परिणामस्वरूप यहाँ हरेक के चेहरे पर श्रद्धा है।

मेरे पास एक भाई अमेरिका से आये थे। मेरे साथ १५ दिन रहे, घूमे। उन्होंने कहा, "यहाँ अत्यन्त दारिद्र्य है। योरप, अमेरिका में कल्पना भी न कर सकते कि इतना दारिद्र्य है।" भारत इंग्लैंड, अमेरिका से गरीब, और भारत के सब प्रान्तों में बिहार सबसे गरीब! भारत की औसतन आमदनी वार्षिक साढ़े चार सौ रुपये की है। बिहार में तीन सौ से साढ़े तीन सौ रुपये। किन्तु उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमसे कहने लगा, "किसी के चेहरे पर दुःख नहीं देखा, हँसते हुए चेहरे देखे। घर में जाकर पूछा तो बोले, 'दोपहर

विनोबा

के लिए भोजन है, शाम का पता नहीं! शाम को खेत में से कुछ लेकर आयेंगे तो खा लेंगे। नहीं तो फाका करेंगे।' शाम का खाना घर में नहीं, फिर भी फिकर नहीं और चेहरे पर हँसी। तो ऐसा क्यों?" मैंने कहा, "भारत सन्तों की भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है। चीनी लेखक लीउटियांग ने भारत का वर्णन किया है: "इण्डिया इज गाड इण्टाक्सी-केटेड लैण्ड"—जैसे शराबी शराब में मस्त होता है वैसे यहाँ के लोग भक्ति की मस्ती में मस्त हैं। जानते हैं दुनिया क्या है। कितने दिन रहना—पचास, साठ, सत्तर, अस्सी साल, और काल तो अनन्त है। अनन्त काल में थोड़े दिन रहना है। 'रहना नहीं देश बिराना है'—भारत अपना देश नहीं, अपनी मातृभूमि दूसरी है। "यह संसार कागज की पुड़िया"—आसक्ति रखना नहीं और प्रसन्न भाव से भगवान की गोद में जाना है। लोग पागल हैं, इसलिए पीछे दौड़ते हैं। कहते हैं, "भूदान लो, भूदान लो।" 'भूदान दीजिए' के बदले 'भूदान लीजिए' चालू हो गया। बाहर के लोग कहते हैं, "भारत के लोग लोभी हैं, भ्रष्टाचारी हैं।" होगा भ्रष्टाचार जहाँ नगर हैं। भारत की असल संस्कृति गाँवों में है। भूदान में ५० लाख एकड़ जमीन दी। बहुत कम कीमत लगाओ, एकड़ के सौ रुपये, तो भी ५० करोड़ रुपयों की जमीन दान में दी। तो हम मन में सोचते हैं कि कैसे लोग हैं? करोड़ों रुपयों की जमीन देना क्या लोभ है? और पागलपन की भी कोई हद है? ग्रामदान में तो जमीन की मालिकी हमारी नहीं, ग्रामसभा की होगी, ऐसा लिखकर देते हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश है, जहाँ के लोग अपनी जमीन बेचने का अधिकार ग्रामसभा को दे देंगे? भूमिहीन के लिए हिस्सा दे देने के बाद भी जो जमीन रहेगी वह रहेगी मेरे हस्तक, किन्तु बेचने की मालिकी ग्रामसभा की। ७०-८० हजार भारत के गाँवों ने ग्रामदान-पत्रक पर हस्ताक्षर करके अपनी मालिकी खत्म की। क्या समझकर? लोभी होते तो करते क्या?

लेकिन उनके हृदय में कुछ है। अध्यात्म भरा है। भगवान को ढूँढ़ रहा है। तो कहाँ है भगवान? बाइबिल ने कहा, "तेरे पड़ोस ही में है।" तो पड़ोसी कौन? जो खोये हुए दुःखी हैं, वे ही तेरे पड़ोसी हैं। गांधी का पड़ोसी भारत में कोई न था, उनके पड़ोसी तो थे नोआखाली में। इसी तरह से गांधी, जिनकी तीक्ष्ण दृष्टि थी, सामाजिक क्रांति शुरू की भंगी से और प्रतीक रखा 'झाड़ू'। स्वराज्य की बात में मिला-बुड्ढियों का चरखा; दूसरी प्रार्थना; जो मेरी माँ किया करती थी और तीसरा मिला झाड़ू; दुःख-निवारण में मिला कुष्ठ रोगी। ये बीमारी, ये रोग ऐसे हैं कि जिनके नाम से लोग तिरस्कार करते हैं। वैसे परचुरे शास्त्री को अपनाया और वही उनका पड़ोसी था।

एक वकील और उनकी पत्नी मेरे पास आये। उन दिनों मैं भूदान की बात करता था। तो वकील बोले, "ठीक है, पाँच एकड़ जमीन देता हूँ।" उनके पास तीस एकड़ जमीन थी। बाबा छठा हिस्सा माँगता था

तो पाँच एकड़ दे दी। उनकी पत्नी आकर बोली, "बाबा तो सबके पास छठा हिस्सा माँगते हैं। आप तो वकालत करते हैं और अच्छी चलती है। तो क्यों न सारी जमीन दी जाय? आप तो खेती करते नहीं।" तो फिर वे दोनों मेरे पास आये और पूछा, तो मैंने दोनों के बीच का रास्ता निकाला—आधी ली १५ एकड़ और १५ एकड़ उनके लिए रखी।

हमारे पूर्वजों ने गाया है: दुर्लभं भारते जन्म। अपने देश में जन्म दुर्लभ है। वैसे तो दुनिया भर के लोग गाते हैं, किन्तु भारत के लोगों ने आगे बढ़कर कहा है कि: मानुष्यं तत्र दुर्लभम्—मनुष्य का जन्म पाना, वह तो इससे भी दुर्लभ है। इसका माने यह हुआ कि जन्तु होकर भी भारत में जन्म पाना दुर्लभ है। ऐसा वचन दूसरे किसी देश की भाषा में पढ़ने को नहीं मिलेगा। भारत की मिट्टी में पैदा होना नम्बर एक, और मनुष्य-जन्म पाना नंबर दो···भाग्य है!

परदेश के लोग पूछते हैं, आप इतनी जमीन लेते हैं और ग्रामदान पाते हैं तो आप उनको क्या समझाते हैं?···क्या चीन की राज्य-क्रान्ति?···कि फ्रेंच की राज्य-क्रान्ति? ऐसी कौनसी राज्य-क्रान्ति का इतिहास समझाते हैं?" मैं कहता हूँ कि, 'मैं उनको प्रेम का सन्देश देता हूँ। दुनिया में जो कुछ भी करेंगे वह यहीं रहेगा। साथ में ले जायेंगे प्रेम, प्रेम की पूँजी। दुनिया में कर्तव्य है प्रेम करना। कश्मीर में मैंने व्याख्यान दिया तो उसका नाम दिया—"मोहब्बत का पैगाम"। गाँव के लोग क्रान्ति की बात क्या समझेंगे? सभा में बहनें आती हैं, भाई आते हैं। मैं बहनों को पूछता हूँ कि आपके घर में बाल-बच्चे हैं? तो कहती हैं, "हाँ।" और भूमि-हीन के घर में भी हैं? तो कहती हैं, "हाँ।" अगर भगवान की इच्छा होती कि उनके पास जमीन न हो तो उनको बाल-बच्चा क्यों देता? आपके बाल-बच्चे हैं, वैसे उनके हैं। उनके भरण-पोषण के लिए जमीन देनी चाहिए न? तो कौन देगा? कहती हैं कि "हम देंगे। बालकों का भरण-पोषण होना चाहिए।"

विनोबा-निवास से

ग्रामदान के बाद : 'लेवी' नहीं 'देवी'

बाँका डाक-बंगला में १२ मार्च की दोपहर बाद बाँका अनुमण्डल के प्रखण्ड-स्तर के सब सरकारी अधिकारी विनोबाजी के पास जुटे। क्षेत्रीय आयुक्त महोदय ने भी इसमें शामिल होना स्वीकार किया था। परन्तु वह पहुँच नहीं सके। जिला समाहर्ता ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने सहायक श्री घोष को भेजा था।

इस अनुमण्डल में दस प्रखण्ड हैं। कुछ प्रखंडों के पंचायत-प्रमुख भी आये थे। अमरपुर के प्रमुख ८१ वर्ष के होने पर भी स्वस्थ और उत्साह भरे थे। बाबा ने उन्हें अपने साथ ऊँचे आसन पर बैठाते हुए कहा, "आप मुझसे बड़े हैं, आपको यहाँ बैठने का अधिकार है।" (वह भाई बाबा के साथ बैठने में झिझक रहे थे।)

प्रमुखजी ने अपना प्रखंडदान बाबा को समर्पित करते हुए कहा, "मैंने शुरू में स्वयं अपने हस्ताक्षर किये और फिर अपने प्रखंड के बड़े लोगों को ग्रामदान में शामिल होने के लिए कहा। मुझे तो आश्चर्य होता है, जब कुछ को कहते सुनता हूँ कि बाहर के कार्यकर्ता आयेंगे तब हमारे क्षेत्र में काम होगा। यह तो गाँव तथा प्रखंड के जिम्मेवार लोगों का अपना काम है। हम खुद कार्यकर्ता हैं।" प्रमुखजी ने बैठक में आये अन्य प्रखंड-प्रमुखों को भी निवेदन किया कि वे लोग जल्दी अपने-अपने प्रखण्डदान को पूरा करवाने में लग जायँ। प्रमुखजी ने आगे कहा, "इसमें नयी बात भी क्या है? अपने मजदूरों को जमीन देना, उनका ठीक पालन करना, यह हमारा कर्तव्य है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा, बाँटकर खाना।"

हरएक प्रखण्ड के विकास-अधिकारी ने अपने प्रखण्ड में काम कहाँ तक हुआ है, उसकी जानकारी दी।

काम सब जगह शुरू है। कहीं-कहीं से तो यह आशा व्यक्त हुई कि तीन-चार दिन में कार्य पूरा हो जायेगा। कुछ जगह कार्यकर्ता-शक्ति कम पड़ रही है, इसलिए ही देरी है। कुल मिलाकर सबमें इस काम को विनोबाजी के रहते पूरा करने का उत्साह था।

विनोबाजी ने अमरपुर प्रखण्डदान-घोषणा के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "आप लोगों ने अभी प्रमुखजी की बातें सुनीं। उन्होंने कहा है कि लोग अब समझ रहे हैं और बुलाकर अपने हस्ताक्षर देते हैं। कानूनी हिसाब से जरूरी जनसंख्या शामिल हो, यह तो ठीक है, परन्तु खुशी इस बात की है कि प्रमुखजी ने बताया कि उनकी पंचायत से सौ प्रतिशत हस्ताक्षर मिले हैं। बिहार में ४०,००० से अधिक गाँव शामिल हो चुके हैं। बचे हुए काम में अब देरी क्यों? यही सोचने की बात है। आज परिस्थिति का खतरा समझने की जरूरत है। आपकी सरकार पर भरोसा नहीं, लोगों का अपने पर भरोसा नहीं और हिंसा की शक्तियों पर विश्वास बैठ रहा है। पड़ोसी बंगाल में तो जनता ने उन्हें वोट दिया है, और सरकार में लाया है, जो खुले शब्दों में चीन की भक्ति करते हैं। बंगाल सीमा-प्रदेश है। बिहार का पूर्णिया जिला नक्सालबाड़ी से बहुत दूर नहीं है।"

बाबा को जब बताया गया कि सरकारी अधिकारियों की सहानुभूति इस काम में होने पर भी उन्हें आजकल अपनी पूरी शक्ति सर-

---

मेरे प्यारे भाइयो, यह जो श्रद्धा है भारत की, वह हमारे दिल में है और इसीलिए श्रद्धा से जाते हैं और माँगते हैं तो कोई ना नहीं करता।

आप ऐसी आध्यात्मिक श्रद्धा लेकर जायेंगे कि जिसने आज नहीं दिया वह कल देगा तो आपको भी मिलेगा। जो आज नहीं मरा वह क्या अमर हो गया? वह कल मरेगा, या परसों मरेगा। हरेक को विश्वास है कि हर कोई मरेगा। मृत्यु को सौ प्रतिशत वोट देते हैं। यह तो जीवन के लिए है। जिसने आज नहीं दिया, वह जरूर कल देगा और जिसने कल नहीं दिया वह परसों देगा, ऐसी श्रद्धा लेकर काम करो!

बाँका: भागलपुर (बिहार)
दिनांक: २१-२-'६८

कारी कर्ज वसूली में लगानी पड़ रही है, तब वह मुस्कराकर बोले, "देश के सामने सवाल टिकाने का है। इसके लिए जरूरी है कि गाँव अपने पैर पर खड़ा हो। स्वराज्य की शक्ति वहाँ से बनेगी। देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा नहीं, यह पिछले १० वर्ष की प्रगति है। जनसंख्या बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति दूध की मात्रा ७॥ तोले रह गयी है, जो स्वराज्य के पूर्व दुगुनी से भी ज्यादा थी। सरकार लेवी, कर्ज यह सब वसूल न करे यह मैं नहीं कहता। गाँव में शक्ति संगठित होगी, तो 'लेवी' नहीं 'देवी' होगी। लोग खुशी से गाँवसभा के द्वारा देंगे। सरकारी कर्ज आज खेती के नाम पर लेते हैं और कई बार शादी-विवाह में खर्च होता है। जब गाँवसभा होगी तो यह दुरुपयोग रुकेगा। जो गाँव कर्ज लेकर अच्छी खेती करे, उसे प्रोत्साहन देने के लिए कुछ कर्ज माफ भी किया जा सकता है। यह सब काम बाद में हमें करने ही हैं। अभी तो सब एकसाथ पाँच-सात दिन समय देकर अपना-अपना प्रखण्डदान पूरा कर डालो। अच्छे काम में यह राह मत देखो कि ऊपर से आदेश आयेगा, भगवान का इशारा समझो।"

अमरपुर प्रखण्ड में २४ पंचायतें हैं। अभी तक ९३९२ परिवारों के हस्ताक्षर लिये जा चुके हैं, जो ७५ प्रतिशत से अधिक हैं। काम अभी शुरू है। अमरपुर प्रखण्ड में अधिकांश किसान हैं। परिश्रमी, शिक्षित व सम्पन्न किसानों ने ग्रामदान में अगुवाई की, इसलिए भूमि भी ५१ प्रतिशत से अधिक प्रखण्डदान में आयी है।•

अ० भा० सर्वोदय-सम्मेलन के लिए स्वागत-समिति गठित

पटना : १ अप्रैल। आज स्थानीय नागरिकों की एक बैठक में राजगीर में आयोजित होनेवाले आगामी सर्वोदय-सम्मेलन की पूर्व-तैयारी के लिए स्वागत-समिति का गठन हुआ। समिति के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नारायण, कार्यकारी अध्यक्ष श्री ध्वजा बाबू, महामंत्री श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी और कोषाध्यक्ष श्री नवलकिशोर सिंह चुने गये।

स्वागत-समिति की सदस्यता का शुल्क १० रुपये निर्धारित किया गया और प्रदेश भर में १० हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया।•

३९ वें गणेश शंकर बलिदान-दिवस (२५ मार्च) के अवसर पर

स्वराज्य किसके लिए ?

"देश में जो स्वराज्य होगा, वह होगा किसी छोटे-मोटे समुदाय का नहीं, धनवानों और शिक्षितों का नहीं, वह होगा साधारण से साधारण आदमी तक का। संसार के कुछ देशों में व्यक्ति को समान अधिकार कागजों पर दिये गये हैं, परन्तु कुलीनों, धनवानों और शिक्षितों के गुट करोड़ों आदमियों को दाबे बैठे हैं। साधारण व्यक्ति अपनी हीन अवस्था को अनुभव कर रहा है। वह कहता है—कागज के इन अक्षरों का कोई मूल्य नहीं, समान अधिकार है तो आगे बढ़ने के लिए भी समान अवसर दो।

भारतवर्ष में भी मुट्ठी भर आदमी—कभी गोरे, कभी भूरे—तुम्हारे भाग्य-विधाता बने रहेंगे, तुम्हारी राह में रोड़े अटकायेंगे और तुम्हें अज्ञान और अन्धकार में रखेंगे। यदि सचमुच इस देश के भाग्य में यही बदा है तो हम यही कहेंगे, हमें स्वराज्य नहीं चाहिए। हमारे करोड़ों भाई, यदि गुलामी के बन्धन में जकड़े हुए हैं, यदि वे अज्ञान और अन्धकार में पड़े हैं, यदि उन्हें पेट भर खाने को नहीं मिलता और पहनने भर को कपड़ा, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती और चलने के लिए राह, तो उस दिशा की ओर जिधर हमारे इने-गिने आदमी सुख से समय बिताते हों और प्रभुता के अधिकारी बने हुए हों, उधर, हम अपना मुँह भी नहीं करना चाहते। **'हम तो' उसी ओर जायँगे, उसी ओर रहेंगे—सड़ने-घुटने और गुमनामी में मर जाने तक के लिए, जिधर हमारे शरीर के शरीर, हमारे हृदय के हृदय, हमारे दीन-हीन और पीड़ित करोड़ों भाई होंगे ! उस दुःख में एक शान्ति होगी, और उस सुख में—करोड़ों के कंकाल पर भोगे जानेवाले थोड़े-से आदमियों के उस सुख में एक गहरी ग्लानि।"** —गणेश शंकर विद्यार्थी

['गणेश शंकर विद्यार्थी के श्रेष्ठ निबन्ध' नामक पुस्तक से साभार]

* गांधी-शताब्दी कैसे मनायें ? *

★ आर्थिक व राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण और ग्राम-स्वराज्य की स्थापना के लिए ग्रामदान-आन्दोलन में योग दें।

★ देश को स्वावलम्बी बनाने और सबको रोजगार देने के लिए खादी, ग्राम और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दें।

★ सभी सम्प्रदायों, वर्गों, भाषावार समूहों में सौहार्द-स्थापना तथा राष्ट्रीय एकता व सुदृढ़ता के लिए शांति-सेना को सशक्त करें।

★ शिविर, विचार-गोष्ठी, पद-यात्रा वगैरह में भाग लेकर गांधीजी के संदेश का चिंतन-मनन और प्रसार करें, उसे जीवन में उतारें।

शताब्दी-समिति के गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति द्वारा प्रसारित।

राज्यदान के बाद क्या और कैसे ?

अब बिहार का राज्यदान होगा। और इसी प्रकार तमिलनाडु को भी राज्यदान की घोषणा करने में देर नहीं होगी। अन्य राज्य भी, जिन्होंने संकल्प किया है, एक-एक कर राज्यदान की मंजिल पूरी करेंगे। सहसा यह प्रश्न उठेगा—"राज्यदान तो हुआ, अब क्या ?" यह प्रश्न आज भी सामने है, लेकिन आज तो हम मन को यह कहकर समझा लेते हैं कि राज्यदान तो होने दीजिए। जब राज्यदान हो जायेगा तो फिर तत्काल इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा कि राज्यदान के बाद क्या ?

इसी प्रश्न पर सहचिन्तन के लिए हाजीपुर (मुजफ्फरपुर) में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के कुछ साथियों का एक सप्ताह का एक शिविर गांधी-जन्म-शताब्दी समिति के तत्त्वावधान में गत १५ मार्च से २१ मार्च तक आयोजित किया गया। शिविर में भाग लेनेवाले शिविरार्थियों की संख्या उत्तर प्रदेश से १५, बिहार से ९७ और नेपाल से ५, कुल ११७ थी। शिविर में श्री धीरेन्द्र भाई दो दिन उपस्थित रहे। आचार्य राममूर्तिजी ने शिविर के सहचिन्तन में सातों दिन मार्गदर्शन किया। इनके अलावा श्री ध्वजाप्रसाद साहू, श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी और श्री सरयू प्रसादजी के चिन्तन का लाभ इस शिविर को प्राप्त हुआ।

शिविर के सहचिन्तन के लिए भूमिका स्पष्ट करने के लिए निवेदन की साइक्लोस्टाइल प्रतियाँ शिविरार्थियों को बाँट दी गयी थीं। इस निवेदन में कहा गया था कि "साम्यवाद खुलकर आक्रामक हुआ है तथा अपनी उपलब्धियों में 'अंतिम व्यक्ति' से बहुत दूर जा पड़ा है। साम्यवादी विचार आज भी 'बुर्जुवा डिमोक्रेसी' और 'प्रालिटेरियन सोशलिज्म' के नारों में भटक रहा है। एशियाई देशों का पाश्चात्य टेकनालाजी और उद्योगवाद से विकास होगा या उनका ब्रिटेन, अमेरिका के नमूने पर स्थायी राजनैतिक संगठन हो सकेगा, अथवा सैनिक-शक्ति से वे अपनी स्वतंत्रता कायम रख सकेंगे, यह सब आग्रह कोरे भ्रम सिद्ध हो चुके हैं। कुछ भी हो, लोकतंत्र और विज्ञान के प्रभाव में 'सर्व' एक नया दर्शन बन चुका है। व्यक्ति की स्वायत्तता (अटानोमी आफ दी इंडिविजुल) मूल्य के रूप मान्य हुई है और सर्वोदय आज नयी पीढ़ी की जागतिक आकांक्षा बन गया है। भारत में हम उस आकांक्षा को मूर्त्त रूप देने की दिशा में ग्रामदान के द्वारा एक जोरदार कदम उठा चुके हैं।

ग्रामदान लोकतंत्र के नाम में न दल के हाथ में सत्ता सौंपने का आंदोलन है, और न राष्ट्रीयकरण के नाम में सरकार के हाथ में स्वामित्व सौंपने का। ग्रामदान का उपास्य 'सर्व' है। ग्रामदान ने इसको ही सत्ता और स्वामित्व का अधिकार माना है। जैसे-जैसे गाँव में सहकार बढ़ता है, जनता, सरकारी, अर्ध-सरकारी, या गैर-सरकारी तंत्रों का आश्रय छोड़ती जाती है, और क्या व्यवस्था और क्या विकास, हर क्षेत्र में उसकी स्वाश्रयिता बढ़ती जाती है। स्वाश्रयिता समन्वित इकाई के रूप में गाँव के नये जीवन का आधार है। इस स्वाश्रयिता का विकास 'गाँव एक गणराज्य' तथा 'भारत गणराज्यों का संघ' तक हो सकता है।

इस विराट कल्पना के संदर्भ में ग्रामदान-आन्दोलन ने तात्कालिक कार्यक्रम के रूप में दो बातें प्रस्तुत की हैं। एक छोर पर 'स्वायत्त ग्राम-व्यवस्था' और दूसरे पर 'दलमुक्त राज्य-व्यवस्था'। ग्रामदान सन् १९७२ को इसी दृष्टि से देखता है। उस समय राज्य की व्यवस्था संगठित स्वायत्त ग्रामसभाओं के सर्वसम्मत प्रतिनिधियों के हाथों में आ जानी चाहिए। इन दोनों छोरों का मिलाप ग्राम-स्वराज्य का शुभारम्भ होगा।

हर रोज की शिविर-चर्चा-गोष्ठी के लिए नये-नये अध्यक्ष निर्वाचित होते रहे। श्री सरयू बाबू ने शिविर में आये अतिथियों का सम्मान करते हुए कहा कि ग्रामदान का काम ठीक से कैसे सम्पन्न हो, यही गांधी-शताब्दी वर्ष का मुख्य काम है।

प्रारंभ में आचार्य राममूर्ति ने कहा कि आज अपने देश में राजनैतिक रिक्तता पैदा हो रही है। इस रिक्तता को कौन भरेगा ? यह एक बड़ा सवाल है।

श्री धीरेन्द्र भाई ने कहा कि गोष्ठी-अभियान चलाया जाय, ताकि नये समाज का चित्र लोगों के दिमाग में स्पष्ट हो सके। इसके लिए गाँव-गाँव में गोष्ठियाँ चलायी जायँ और साथ ही प्रखण्ड-स्तरीय गोष्ठियाँ भी आयोजित हों। उन्होंने कहा कि कम-से-कम एक प्रखण्ड में एक लोकसेवक बैठे। वह लोकसेवक जीविका के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहे। अपनी जीविका में लोकसेवक स्वआधारित हो। उन्होंने अपनी आकांक्षा व्यक्त की कि पूरे देश में कम-से-कम १० हजार लोकसेवक निकलने चाहिए।

श्री धीरेन् भाई के भाषण के बाद शिविर तीन गोष्ठियों में विभक्त हो गया। एक गोष्ठी ने 'ग्रामदान-पुष्टि एवं संगठन', दूसरी ने 'ग्रामसभा का गठन' तथा तीसरी ने 'ग्रामसभा का संचालन' पर चर्चा की। तीनों गोष्ठियों ने चर्चा करने के बाद अपना-अपना सुझाव शिविर के सामने रखा। फिर उस पर चर्चा हुई। कुछ सुझाव नीचे दे रहे हैं।

पुष्टि-कार्य के लिए यह सुझाव आया कि इस कार्य के लिए संस्थाओं से बाहर के कार्यकर्ता तैयार किये जायँ। इसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी ज्यादा मददगार साबित होंगे। इनके शिक्षण के लिए शिविरों का आयोजन करना चाहिए।

ग्रामसभा-संचालन के लिए आर्थिक आधार ग्रामकोष होगा। इसके लिए पूरा समय देनेवाला हर गाँव में एक कार्यकर्ता तैयार हो। सरकार द्वारा विकास के जितने भी काम किये जाते हैं, वे सब ग्रामसभा के माध्यम से ही किये जायँ। ग्रामसभा सर्वप्रथम बीघा-कट्ठा निकाले, ग्रामकोष संग्रह करे। गाँव के झगड़े ग्रामसभा तय कराये, कोई मुकदमा अदालत में न जाय।

लोकनीति-ग्राम-प्रतिनिधित्व पर चर्चा करते हुए आचार्य राममूर्तिजी ने पहले ग्रामस्वराज्य के छहों तत्त्वों—१. स्वायत्त ग्रामसभा, २. दलमुक्त ग्राम-प्रतिनिधित्व, ३. पुलिस-अदालत-निरपेक्ष व्यवस्था, ४. ग्रामा-

www.vinoba.in

तीन सप्ताह में बिहारदान का शेष काम पूरा करने का निर्णय

आगामी ७ मई से ३१ मई तक प्रदेश की सम्पूर्ण शक्ति लगाकर अभियान चलाने की योजना

पटना : १ अप्रैल '६९। बिहार ग्रामदान-प्राप्ति समिति ने आज विनोबाजी के प्रेरक उद्बोधन के बाद यह निर्णय किया कि आगामी ७ मई से ३१ मई तक प्रदेश की सम्पूर्ण रचनात्मक शक्ति समेटकर प्रदेश के शेष जिलों में प्राप्ति-अभियान चलाये जायँ, और ३१ मई तक बिहारदान का काम पूर्ण कर लिया जाय।

समिति की उक्त बैठक की अध्यक्षता श्री जयप्रकाश नारायण ने की। बैठक में बिहार ग्रामदान-प्राप्ति समिति के २७ सदस्यों के अलावा प्रदेश के लगभग २५ प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया।

ज्ञातव्य है कि बिहार के कुल १७ जिलों में ९ जिलों का जिलादान हो चुका है। शेष ८ जिलों के कुल २७३ प्रखण्डों में से अब सिर्फ २१६ प्रखण्डों का ही काम पूरा करना है।

बैठक में उपस्थित बिहार संयुक्त समाजवादी दल के नेता सर्वश्री कर्पूरी ठाकुर, रामानन्द तिवारी, बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता श्री महेश बाबू, लोकतांत्रिक दल के श्री विनोदा नन्द झा आदि ने अपनी शक्ति लगाने का निश्चय जाहिर किया। इन लोगों के सुझाव पर ही यह भी तय हुआ कि सभी दलों के लोगों से इस अभियान में शक्ति प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया जाय।

इस अवसर पर अपने संक्षिप्त प्रेरक प्रवचन में विनोबा ने कहा कि गीता का यह त्रैकालिक सिद्धान्त है कि अपना उद्धार अपने ही हो सकता है। यह या वह राजनीतिक दल हमारा उद्धार कर देंगे ऐसा भ्रामक तंत्र आज की लोकतांत्रिक रचना में खड़ा किया हुआ है। आपने इस बात पर जोर दिया कि जबतक नीचे से शक्ति नहीं खड़ी होगी, तबतक यह भ्रम का ढाँचा खड़ा रहेगा।

पूरे एशिया महाद्वीप में आज जो गहन अंधकार छाया हुआ है, वह गहनतर होता जा रहा है। अंधकार जितना ही घनीभूत होता है, 'टार्च' को प्रकाश फैलाने का उतना ही उत्साह होता है। बाबा ने इस गहन अंधकार की बेला में ग्रामदान को आशा की किरण बताते हुए कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी कि वे निरन्तर 'टार्च' की तरह प्रकाश फैलाने के काम में बढ़ते उत्साह के साथ जुट जायँ; क्योंकि आज अपना देश, अपने प्रान्त बहुत ही खतरे की स्थिति में हैं। जब नीचे से शक्ति खड़ी होगी, तभी इस स्थिति से मुक्ति मिल सकेगी। इस लिए हम सामूहिक संकल्प की शक्ति खड़ी करें।०

अभिमुख अर्थनीति ५. स्वतंत्र शिक्षण, और ६. सर्वधर्म-समभाव का विवेचन किया। फिर उन्होंने बताया कि ग्रामसभाओं के प्रतिनिधियों को लेकर कैसे निर्वाचन-मण्डल बनेगा, निर्वाचन-मण्डल अपना उम्मीदवार कैसे चुनेगा, उम्मीदवार चुनकर सरकार में जाय और गलत काम करे तो वह वापस बुलाया जाय या नहीं, सरकार का गठन कैसे होगा, नेता का चुनाव कैसे होगा ?

इस विषय को चर्चा के लिए चार मुद्दों में बाँटा गया :—

१. ग्राम-एकता, २. प्रतिनिधि-मण्डल द्वारा उम्मीदवार का चयन, ३. सरकार का गठन, ४. लोकशिक्षण का संगठन।

इन चारों मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चार गोष्ठियाँ बैठीं। इस पर खूब मंथन हुआ। लोकसेवक उम्मीदवार हो या नहीं, इस पर खूब चर्चा हुई। कुछ का कहना था कि लोकसेवक को शासन में नहीं जाना चाहिए, कुछ का कहना था कि क्षेत्र लोकसेवक को सर्वसम्मति से चुनता है तो उसे क्यों नहीं जाना चाहिए, और कुछ का यह मानना था कि केन्द्र में आवश्यकता पड़े और लोगों की सर्वसम्मत राय बने किसी लोकसेवक के लिए, तो उसे देश की आवश्यकता मानकर जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की छूट विधानसभाओं में जाने के लिए न रहे। सब गोष्ठियों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट शिविर के समक्ष रखी और इस पर चर्चा हुई।

प्रतिनिधि की योग्यता—१. वह सेवाभावी हो, सम्प्रदायवाद तथा जातिवाद से ऊपर हो; २. उसका सेवा-क्षेत्र वह चुनाव-क्षेत्र अवश्य हो; ३. यदि वह राजनीति में रहा हो तो उसका राजनैतिक चरित्र ऊँचा रहा हो।

अयोग्यता—१. शराबी होना; २. उसकी आयु बीस वर्ष से कम या साठ वर्ष से अधिक; ३. किसी राजनैतिक दल का सदस्य हो।

जिस चुनाव-क्षेत्र के कम-से-कम ७० प्रतिशत गाँवों में ग्रामदान की ग्रामसभाएँ बन गयी हों और सक्रिय हो गयी हों, उसी क्षेत्र में हम उम्मीदवार खड़ा करें।

चुनाव-क्षेत्र की हर ग्रामदानी सभा से आबादी के अनुसार १ से ५ तक प्रतिनिधि लेकर एक प्रतिनिधि-मंडल बनेगा, जिसकी संख्या २५० या ३०० तक होगी। यह प्रतिनिधि-मण्डल विधानसभा के लिए सर्वमान्य उम्मीदवार की घोषणा करेगा, जो विधानसभा की सदस्यता का उम्मीदवार होगा।

अन्त में आचार्यजी ने इस विषय पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि गाँवों में अधिकार बढ़ेगा तो उसके साथ संघर्ष भी बढ़ेंगे। इसलिए गुणात्मक परिवर्तन पर ज्यादा जोर देना होगा, और यह काम लोकसेवक ही कर सकता है। चूँकि ९० प्रतिशत काम ग्रामसभाओं के पास रहेगा, इसलिए पटना और दिल्ली में कम काम रह जायेंगे।

—कृष्णकुमार

वार्षिक शुल्क : १० रु०; विदेश में २० रु०; या २५ शिलिंग या ३ डालर। एक प्रति : २० पैसे।
श्रीकृष्णदत्त भट्ट द्वारा सर्व सेवा संघ के लिए प्रकाशित एवं इण्डियन प्रेस (प्रा०) लि० वाराणसी में मुद्रित।

इस अंक में

अब किसे भेजें ? (२)
सहनशीलता
…और पारबती सोहर गा उठी
यह तो दस्तूरी है जी…!
हृदय-परिवर्तन

७ अप्रैल, '६९
वर्ष ३, अंक १६] [१८ पैसे

अब किसे भेजें ? : २ :

उत्तर : ऐसा होना कठिन नहीं है। शर्त यही है कि गाँव संगठित हों और एक हों।

प्रश्न : कहने को भले ही यह एक शर्त हो, लेकिन ऐसी कठिन शर्त है जो पूरी नहीं होती दिखाई देती। अगर हमलोगों के अपने ही झगड़े होते तो लड़-झगड़कर किसी तरह एक राय होने का कोई रास्ता निकल आता, लेकिन ये जो राजनैतिक पार्टियाँ हैं वे हमलोगों को एक होने नहीं देंगी। किसी एक गाँव का नहीं, सभी गाँवों का यही हाल है। क्या ऐसी बात नहीं है ?

उत्तर : आप बिलकुल सही कह रहे हैं। दलों ने गाँव का दिल तोड़ दिया है। एकता की कौन कहे, मामूली आपसदारी भी अब गाँवों में नहीं रह गयी है। हमेशा से गरीबी, बेकारी, और अज्ञान का बोलबाला तो था ही, जमीन के झगड़े भी भरपूर थे। जातियों में आपसी तनाव भी रहता था, लेकिन राजनैतिक दलबन्दी सबसे ऊपर हो गयी है। इसने तो घर-घर में आग-सी लगा दी है।

प्रश्न : इन बातों को जानते हुए भी आप गाँव की एकता की बात कह रहे हैं ?

उत्तर : मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गाँवों को बचाना है तो, उन्हें एक होना ही है। और, अगर हम अपने गाँवों को बचाना चाहते हैं तो हमें उनकी एकता की रक्षा के लिए जी-जान से कोशिश करनी ही चाहिए। एक बार कोशिश करके हम ग्रामसभाएँ बना लें और धीरज के साथ उन्हें मजबूत करते जायँ। हमारी ग्रामसभाएँ ढाल होंगी जो गाँव पर होने-वाले सभी तरह के प्रहारों को रोक लेंगी। आप इस काम के लिए खुद तैयार हों, और हर गाँव में आपकी तरह के दो-दो, चार-चार आदमी तैयार हो जायँ तो काम बन जाय।

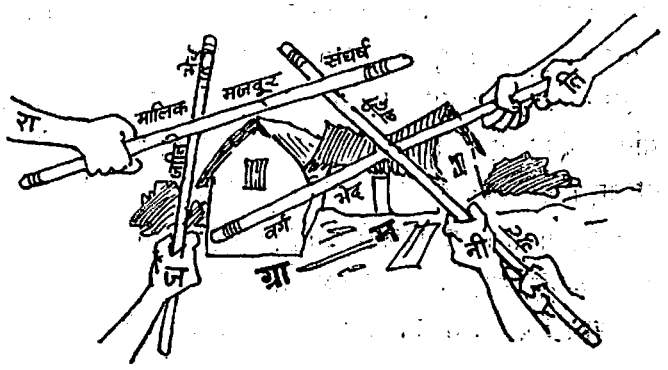

राजनैतिक प्रहार

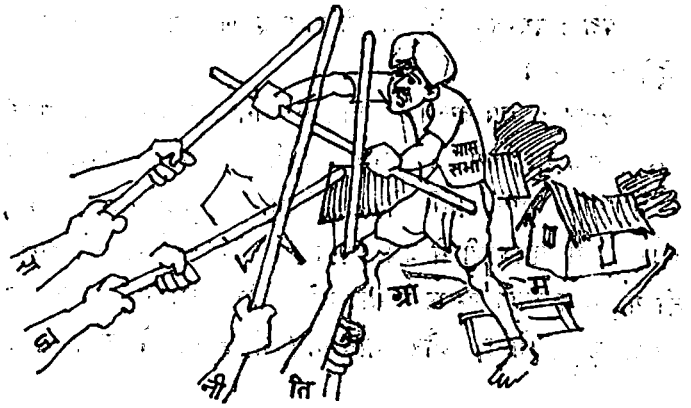

ग्रामसभा द्वारा बचाव

www.vinoba.in

प्रश्न : गाँव में मालिक-मजदूर के झगड़े दिनोंदिन तीखे होते जा रहे हैं।

उत्तर : हर तरफ से कोशिश झगड़े बढ़ाने की ही हो रही है। घटाने की कोशिश कौन कर रहा है? झगड़े की जड़ इस बात में है कि जमीन 'ऊँची' जातियों के पास है, और 'नीची' जातियाँ भूमिहीन हैं, मजदूर हैं। इस तरह एक ही जगह जातियों का झगड़ा भी शुरू होता है, और मालिक-मजदूर का भी। भूमि के इस बुनियादी तनाव का बहुत अनुचित लाभ उठा रही है हमारी राजनीति।

प्रश्न : कैसे?

उत्तर : राजनीति मालिक से कहती है कि मजदूर से बचने के लिए संगठन बनाओ, और मजदूर से कहती है कि मालिक से बचने के लिए एक हो जाओ, जब कि कोशिश यह होनी चाहिए थी कि दोनों को न्याय मिलता, और दोनों को एक-दूसरे के करीब लाया जाता। उलटे बात यह फैला दी गयी है कि मालिक-मजदूर एक-दूसरे के दुश्मन हैं। मालिकों की राजनीति दक्षिणपंथी कही जाने लगी है और मजदूरों की बामपंथी। झगड़ा, तनाव, संघर्ष; इसी विटैमिन पर तो राजनीति जिन्दा है!

प्रश्न : आप जो कह रहे हैं उसे मैं मानता हूँ, लेकिन सच पूछिए तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मालिक-मजदूर एक कैसे होंगे। मजदूर मेहनत करे और उसका पेट न भरे, मालिक बैठा रहे और उसका घर भरे, सोचिए जब ऐसी हालत है तो दोनों मिलकर कैसे रह सकते हैं?

उत्तर : यह बिलकुल सही है कि मजदूर का पेट नहीं भरता। लेकिन यह भी सही है कि बैठे बैठे घर भरनेवाले मालिकों की संख्या बहुत थोड़ी है। सोचिए, आपके गाँव में कितने परिवार हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है, जिनके पास खेती में लगाने के लिए पूँजी है, जो खेती से सालभर दोनों वक्त अपना और बाल-बच्चों का पेट भर लेते हों, और जो महाजन के कर्ज से बचे हुए हों?

प्रश्न : क्या कहूँ, मेरे गाँव में तो मुश्किल से तीन-चार परिवार ऐसे निकलेंगे।

उत्तर : आप देखेंगे कि गाँव में धन उसीके पास है जिसके घर अनाज या रुपये की महाजनी होती हो, या कलकत्ता-बम्बई से बेहिसाब कमाई आती हो, जिसके घर में लड़कियाँ कम हों, और जो मुकदमेबाजी से बचा हुआ हो। गहराई से सोचिएगा तो यह बात साफ समझ में आ जायेगी कि अगर मालिक-मजदूर का झगड़ा न मिटा, और गाँव-गाँव में न्याय की व्यवस्था न कायम हुई तो मालिक बरबाद होंगे, मजदूर बरबाद होंगे, गाँव बरबाद होंगे, देश बरबाद होगा। बोलिए, होगी यह चौमुखी बरबादी या नहीं? लेकिन यह भी समझ लीजिए कि अगर ये दल बने रह गये, और सरकार आज जिस तरह चल रही है उसी तरह चलती रह गयी तो न यह झगड़ा मिटेगा, और न यह बरबादी रुकेगी।

प्रश्न : लगता ऐसा ही है। गाँव में किसीको शान्ति नहीं है। मालूम नहीं आगे हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, लेकिन समझ में नहीं आता कि दलों से जान कैसे बचेगी और सरकार की रीति-नीति कैसे बदलेगी?

उत्तर : एक तरह से पूरी राजनीति को बदलने की बात है। आज के चुनाव में उम्मीदवार दलों की ओर से खड़े होते हैं। इसकी जगह ऐसा क्यों न हो कि एक निर्वाचन-क्षेत्र के गाँव मिलकर, एक राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें? ऐसी व्यवस्था बनायी जाय कि एक ओर गाँव के लोग मिलकर अपने गाँव की भीतरी व्यवस्था चलायें, और दूसरी ओर सरकार में अपने आदमी भेजें। अगर इतना हो जाय तो दलों से मुक्ति मिल सकती है। दलों से मुक्ति मिलते ही गाँवों की हवा बदल जायेगी। बोलिए, कैसा है यह विचार?

प्रश्न : अगर ऐसा हो जाय तो बहुत अच्छा होगा। लगता है कि अगले चुनाव के लिए कोशिश अभी से करनी चाहिए।

उत्तर : जरूर, आज से ही।

प्रश्न : बताइए क्या करना चाहिए?

उत्तर : विनोबाजी के ग्रामदान आन्दोलन ने 'दलमुक्त ग्राम-प्रतिनिधित्व' की पूरी योजना सुझायी है। वह इस प्रकार है। मान लीजिए कि आपके निर्वाचन-क्षेत्र में कुल १२५ गाँव हैं जिनमें १०० गाँवों का ग्रामदान हो गया है। गाँव के लोगों ने ग्रामदान के कागज पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, भले ही अभी ग्रामदान कानून में पक्का न हुआ हो। पहली बात यह है कि आप जैसे समझने-बूझनेवाले जो लोग हैं वे इन १००गाँवों में जल्द-से-जल्द ग्रामदान की शर्त के अनुसार ग्रामसभा (या ग्रामस्वराज्य सभा) बना डालें। गाँव के लोगों से कहिए कि सबको मिलकर अपना गाँव बनाना है, अपने गाँव की व्यवस्था चलानी है, और अगले चुनाव में 'अपना' आदमी भेजना है, दल का नहीं। 'गाँव-गाँव के लोगो, एक हो जाओ' की गूँज गाँव-गाँव, घर-घर, पहुँचा दीजिए। जैसे स्वराज की आवाज गाँव-गाँव पहुँची थी, उसी तरह यह आवाज भी पहुँचनी चाहिए। यह भी गाँव के स्वराज्य का सवाल है, मामूली सवाल नहीं है, समझ लीजिए।

प्रश्न : ग्रामसभा बन जाने के बाद क्या होगा? →

www.vinoba

सहनशीलता

एकनाथ महाराज गोदावरी में रोज स्नान करने जाते। एक दिन जब वे नहाकर लौट रहे थे तो रास्ते में पड़नेवाले एक सराय में रहनेवाले एक पठान ने उन पर कुल्ला कर दिया।

एकनाथ महाराज फिर जाकर स्नान कर आये।

नहाकर रोज वे उसी रास्ते से निकलते और वह रोज उन पर कुल्ला कर देता। वे लौटकर फिर नहा आते।

एक दिन उस पठान को सनक-सी सवार हो गयी। देखें कब तक इस साधु को गुस्सा नहीं आता!

पहली दफा वे नहाकर लौटे तो उन पर कुल्ला कर दिया। दूसरी बार नहाकर लौटे तो उसने फिर उन पर कुल्ला कर दिया। दो बार, तीन बार, चार बार, दस बार, बीस बार, पचीस बार, होते-होते संख्या जा पहुँची १०८ पर।

एकनाथ महाराज हर बार लौटकर गोदावरी में स्नान कर आते।

१०८ बार स्नान करके जब वे लौटे तो पठान उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला: 'बाबाजी, माफ करें। आज मेरी बदमाशी की हद हो गयी। मैं देखना चाहता था कि आपको कभी तो गुस्सा आयेगा। पर आपने दिखा दिया कि आदमी कितना अच्छा हो सकता है, कितना सहनशील! अपनी नालायकी के लिए मैं बहुत शर्मिन्दा हूं। आपने अपने उपकार से मुझे लाद दिया। आप खुदा के सच्चे बन्दे हैं। मुझे माफ कर दें!'

एकनाथ बोले: 'भैया, उपकार तो तुम्हारा ही है मुझ पर! तुम्हारी कृपा से आज मुझे १०८ बार गोदावरी माता के स्नान का पुण्य मिला।'

—श्रीकृष्णदत्त भट्ट

→ उत्तर: मान लीजिए कि आपके निर्वाचन-क्षेत्र के १०० गांवों में ग्रामसभाएं बन गयीं। उससे अधिक में भी बन सकती हैं। एक बार जब ग्रामस्वराज्य की हवा बहेगी तो आज अभी जिन गांवों का ग्रामदान नहीं हुआ है वे भी जल्दी-जल्दी ग्रामदान में शरीक हो जायंगे, और ग्रामसभा बनाकर इस अभियान में शरीक होंगे। उम्मीदवार तय करने के लिए इन ग्रामसभाओं के सर्व-सम्मत प्रतिनिधि क्षेत्र के किसी मुख्य स्थान पर इकट्ठा होंगे। जैसी छोटी-बड़ी ग्रामसभाएं होंगी उसके हिसाब से हर ग्रामसभा एक से लेकर पांच तक प्रतिनिधि भेजेंगी। ये प्रतिनिधि अपनी-अपनी ग्रामसभा द्वारा सर्व-सम्मति या सर्वानुमति से चुने जायंगे, जैसा कि ग्रामदान के हर चुनाव में होता है। लेकिन निर्वाचन-क्षेत्र की कुल ग्रामसभाओं के प्रतिनिधियों की संख्या २५० से अधिक नहीं होगी। इन २५० लोगों को मिलाकर 'ग्रामसभा-प्रतिनिधि-निर्वाचन-मण्डल' बनेगा। यह पूरा मण्डल एक जगह बैठेगा, सोचेगा, और अन्त में सर्व-सम्मति से उस क्षेत्र के लिए एक ग्रामदानी उम्मीदवार तय करेगा।

प्रश्न: अगर कई नाम आ गये, और सर्व-सम्मति से फैसला न हो सका तो क्या होगा?

उम्मीदवार कौन हो?

उत्तर: हां, यह सवाल पैदा हो सकता है। इसके कई सवाल भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन सब दिक्कतों को हल करके निर्वाचन-मण्डल को एक सर्व-सम्मत उम्मीदवार तय करना ही है।

सवाल है एक नाम कैसे आये?

प्रश्न: करना तो है, लेकिन करेगा कैसे? कठिनाइयां जबरदस्त हैं।

(अगले अंक में पढ़ें)

और पारबती सोहर गा उठी

ए हो! राजा जनकजी के मिललीं सीया
उनकर पुलकल हीया, दोऊ अँखिया हरखि हुलसानी हो।

(राजा जनकजी को सीता मिलीं तो उनका हृदय आनन्द से पुलकित हो उठा और दोनों आँखें प्रसन्नता से चमक उठीं।)

पारबती अपनी सुरीली आवाज में सोहर गाते हुए आँगन में कंबल और दरी बिछाती जा रही थी।

देखि सीया क सुघर सरूप अनूप,
महीपजी मन में ठानी हो।
सीता सौम्य सुता, मोरी धरम धीया
पालब पुरइन-पुत्र समानी हो।

(सीता के सुन्दर और अनोखे बाल-स्वरूप को देखकर राजा जनकजी ने मन में तय किया कि सौम्य कन्या सीता मेरी धर्म-पुत्री है। मैं इसका पालन सरसिज पुत्र की तरह करूंगा।)

पारबती सोहर का दूसरा चरण गा ही रही थी कि कई पड़ोसिनें आँगन में पहुँच गयीं। सावित्री अपने साथ ढोलक और मजीरा लेती आयी थी। आँगन में पहुँचते ही वह कम्बल पर बैठ गयी और ढोलक पर थाप देने लगी। ललिता ने मजीरा उठा लिया और ढोलक की ताल पर उसे ठुनठुनाने लगी।

रानी पलना झुलावैं,
ललना सोहर गावैं,
बधुएँ मोद मनावें मनमानी हो।
केहु स्वांग रचावैं,
केहु मृदंग बजावैं,
केहु थिरकि थिरकि बौरानी हो।

(जनकजी की रानी पालना में सीताजी को रखकर झुला रही हैं, स्त्रियां सोहर गा रही हैं और बधुएँ मनमाने ढंग से अपना मनोविनोद कर रही हैं। उनमें से कोई दूसरों की नकल उतार रही हैं, कोई मृदंग बजा रही हैं और कोई प्रसन्नता से नाचते-नाचते बावली हो गयी हैं।)

ढोलक और मजीरे के मिलेजुले स्वर ने पारबती को प्रसन्नता की गहराई में पहुँचा दिया। सोहर गाने के साथ-साथ वह हाथों से पालना झुलाने और बलैया लेने का संकेत करने लगी। फिर पांव की एड़ी रंगवाने और सोहर गाने के संकेत के बाद पारबती के पांव में जैसे पंख लग गये। वह सोहर की ताल पर मगन होकर थिरकने लगी।

पारबती के आँगन में जैसे हंगामा मच गया। सावित्री ने ढोलक ललिता को थमाया और मजीरा लेकर पारबती के साथ थिरकने लगी। देखते ही देखते आँगन गाँव की स्त्रियों और बच्चों से खचाखच भर गया।

चौथिया जब सब घरों में न्योता पहुँचाकर वापस लौटी तो पारबती के आँगन में इकट्ठा मजमे को देखकर दंग रह गयी! प्रायः स्त्रियों ने कोई-न-कोई काम-काज का बहाना सुना दिया था, लेकिन वे ही जब आँगन में गाते-नाचते दिखाई पड़ीं तो चौथिया का जी गद्गद हो उठा। वह लपककर अपनी मड़ई में पहुँची। खूंटी पर उसके पति का खाकी कोट लटक रहा था। चौथिया ने फुर्ती से चारपाई की चादर निकालकर उसे लुंगी की तरह अपनी कमर में बांधा, कोट पहन लिया और अपनी छपी साड़ी को पगड़ी की तरह सिर में लपेट लिया। कंधे पर भारी-भरकम लाठी रखकर पैर पटकते हुए जब वह दुबारा आँगन में दाखिल हुई तो वहाँ जैसे हड़कम्प मच गया।

"सावधान! कोई भागने नहीं पावेगा। गांव के परधान का हुकुम है कि उनकी पोती के जनम पर जो नाचेगा वह परधानजी के धरमगोला से हलुआ-पूड़ी और बखोर का भोज खाकर ही बाहर जाने पायेगा। जो सिर्फ गायेगा वह दो बीड़ा पान पायेगा।"

चौथिया की नाटकीय घोषणा के पूरे होते ही पारबती का आँगन स्त्रियों की हँसी और खिलखिलाहट से गूंज उठा। चौथिया ने पारबती को सिपाहियाना सलामी दागते हुए कहा—"दीवानजी को कारिन्दे का सलाम! लाइए सरकार मेरा इनाम!"

पारबती की आँखों में खुशी के आँसू छलछला आये। चौथिया की पीठ पर धौल जमाते हुए बोली—"ओस चाटने से किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझती। प्यास तो बस पानी से ही बुझती है। जबतक तू भी सोहर नहीं गाती तबतक मैं नहीं माननेवाली हूँ।"

"खाने-खिलाने की बात किसीसे निभ सकती है और किसीसे नहीं भी निभ सकती है, लेकिन अपने मन की खुशी जाहिर करने में कोई खर्च नहीं होता। इसमें कंजूसी नहीं चलेगी।" यह कहते हुए पारबती ने चौथिया के सिर की पगड़ी खींचकर उसे ओढ़नी की तरह ओढ़ा दिया और उसे धकियाते हुए सबके बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। चौथिया ने साड़ी को लपेटकर नाचना शुरू कर दिया।

—त्रिशंकु

www.vinoba.in

यह तो दस्तूरी है जी···!

गाड़ी इलाहाबाद से आगे बढ़ी तो हमारे डिब्बे में कण्डक्टर ने यात्रियों के टिकट की जाँच शुरू की। तीसरे दर्जे के स्लीपर का डब्बा था और गाड़ी थी दिल्ली से सियालदह को जानेवाली अपर-इंडिया एक्सप्रेस। तारीख थी पिछले मार्च महीने की तेरहवीं।

हमारे पड़ोस में ही पाँच-छः सदस्यों का एक परिवार था, जो दिल्ली से पटना जा रहा था। साथ में बच्चे भी थे—कुछ कम उम्र के, कुछ अधिक के। नियम के अनुसार ३ साल से ऊपर के बच्चों का आधा टिकट लगता है। और इस परिवार में ३ साल से अधिक के दो बच्चे थे, जिनमें एक का टिकट लिया गया था, दूसरे का नहीं। कण्डक्टर ने उस लड़के का टिकट दिखाने को कहा तो जवाब मिला, "अजी साहब अभी तो बच्चा है, इसका क्या टिकट... ... ?" कण्डक्टर ने कहा, "दिन-रात मैं यही धंधा करता हूँ। आप मुझे बहका नहीं सकते। इस लड़के की उम्र ५ साल से कम नहीं है। टिकट बनवा लीजिए।" उस परिवार के मुख्य व्यक्ति ने कहा, "साहब, दिल्ली और कानपुरवाले कण्डक्टर लोग बड़े 'सज्जन' थे, उन्होंने छोड़ दिया, आप भी...!" "माफ कीजिएगा, मैं वैसा 'सज्जन' नहीं हूँ कि अपनी ड्यूटी ही न करूँ। आप टिकट बनवा लीजिए, यही उचित है, वर्ना जितनी ही दूर गाड़ी आगे बढ़ती जायेगी, जुर्माना उतना ही बढ़ता जायेगा। वैसे मैं दिल्ली से इलाहाबाद तक का जुर्माना लेकर और उसके बाद पटना तक का किराया लेकर टिकट बना दूँगा।" कण्डक्टर ने कहा। (रेलवे-कानून के अनुसार बिना टिकट पकड़े जाने पर दुगुना किराया देना पड़ता है जुर्माने के रूप में।)

अब तो यात्री महोदय और भी परेशान होने लगे। दूसरे यात्रियों ने भी उनकी ओर से सिफारिश करनी शुरू की, "कण्डक्टर साहब, छोड़ दीजिए बेचारे को!" "···दे दो भाई, कण्डक्टर साहब को कुछ चाय-मिठाई के लिए।" एक मारवाड़ी सज्जन ने मामला निपटाने के लिए नेक सलाह दी।

यात्री महोदय दस रुपये का नोट हाथ में लिये कण्डक्टर के पास खड़े थे, और कण्डक्टर बेचारा टिकट बनाने की रसीद खोले, एक हाथ में पेंसिल थामे बैठा था। गाड़ी प्रयाग से खुलकर अब गंगा का पुल पार कर रही थी। उसकी घड़घड़ाहट की परवाह किये बिना मोल-भाव की कोशिश चल रही थी। फुलपुर भी निकल गया और मामला निपटा नहीं। यात्री और कण्डक्टर, दोनों के चेहरे पर परेशानी के भाव अधिक साफ होते जा रहे थे। लेकिन दोनों की भूमिका में कितना फर्क था? एक अपनी 'ड्यूटी' का ईमानदारी से पालन करना चाहता था, दूसरा उसकी 'ईमानदारी' की कीमत चुकाने के लिए तत्पर खड़ा था।

आखिर मामला तय होता दिखाई नहीं दिया तो मारवाड़ी महोदय ने 'पन्ना नम्बर २९३ की कहानी' सुनाकर अपनी व्यवहार-बुद्धि की धाक जमानी चाही, "साहब, कत्ल का मुकदमा था और सजा मिलनी ही थी, वह भी मौत की सजा। उसका भाई जी-जान लगाकर बचाने की कोशिश कर रहा था। पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन कोई उम्मीद हाथ नहीं लगी। आखिरी दिन, जब फैसला सुनाया जानेवाला था, तो उसने अन्तिम बार तकदीर आजमायी। उसने कानून की किताब के पन्ना नम्बर २९३ में २ लाख का एक चेक रखकर जज साहब तक अपने वकील के मार्फत पहुँचा दिया। और जब वकील ने कहा, 'जजसाहब, आप पन्ना नम्बर २९३ पर देखिए, कानून क्या कहता है।' तो साहब, जजसाहब ने वह पन्ना खोलकर देखा, और फैसले की तारीख आगे सरका दी। और बाद में कुछ वर्षों की सजा सुना दी। तो साहब, आप भी पन्ना नम्बर २९३ का कानून लागू कीजिए, और मामले को खतम कीजिए।" मारवाड़ी महोदय इस समय 'तीसमारखाँ' लग रहे थे, और बेचारे कण्डक्टर के माथे पर पसीने की बूँदें आ रही थीं, टिकट बनाने के लिए तैयार उसके दोनों हाथ काँप रहे थे। शायद पन्ना नम्बर २९३ और उसकी ईमानदारी का संघर्ष तेज हो गया था।

अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने पूछा, "आप लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे, जो आये दिन जमाने को गाली नहीं देते होंगे कि 'जमाना भ्रष्ट हो गया है, कलियुग आ गया है?' अब आप लोग क्या कोई ऐसा उपाय भी निकाल सकते हैं कि देश का हर आदमी भ्रष्टाचार करने-कराने पर उतारू हो, और 'जमाने' में सुधार भी हो जाय,...शुद्धि भी आ जाय?" मैंने देखा, मेरी बात से कण्डक्टर बेचारे को कुछ राहत मिली और यात्री लोग चौंक-से गये! मारवाड़ी महोदय ने शायद अपने पन्ना नम्बर २९३ का अपमान अनुभव किया। तुरंत बोल उठे, "अजी, आप इनकी जगह होते, तो यही करते। दूसरों को सदाचार सिखानेवाले आप जैसे बहुत देखे हैं।" "लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने दूसरों को दुराचार के लिए मजबूर करनेवाले बहुत-से लोग आज ही देखे हैं।" मारवाड़ी महोदय की बात पर मुझे भी कुछ गुस्सा आ गया था, इसलिए जरा जोर देकर कहा।

अब मारवाड़ी महोदय ने अपना रुख बदलते हुए कहा, "साहब, भ्रष्टाचार तो तब रुकेगा, जब इन (कण्डक्टर की ओर

इशारा करके) गरीब बेचारों की तनख्वाह बढ़ेगी।'' यह बात दुहरा प्रभाव पैदा करनेवाली थी। कण्डक्टर के प्रति हमदर्दी भी जाहिर हुई, और बिना टिकट बनाये रुपया ले लेने के लिए एक तर्क भी मिला।

www.vinoba.in

…लेकिन कण्डक्टर ने उस 'दस रुपये' के नोट की ओर निगाह नहीं फेरी, जो उनकी बगल में खड़े सज्जन के हाथ में अभी भी ज्यों-की-त्यों पड़ी थी।

''अच्छा साहब, अब बहुत हो गया, अब ले लीजिए और मामला खत्म कीजिए। दे दीजिए साहब, पांच रुपये और दे दीजिए।...यह सब तो दस्तूरी है, इसमें इतनी बकवास की क्या जरूरत थी?'' मेरी बगल में बैठे सज्जन ने मामले को हल्का बनाने की कोशिश करते हुए कहा। शायद उनकी दृष्टि से साधारण-सी बात नाहक तूल पकड़ रही थी। उनके दोनों कंधों पर खाकी वर्दी में उत्तर प्रदेश पुलिस के बिल्ले लगे थे।

मुझे अब कुछ कहने की इच्छा नहीं हुई। सभी लोगों की निगाहें मुझे ऐसे घूर रही थीं, मानो मैंने कोई अपराध किया हो! अपराध ही तो किया था! विनोबा कभी-कभी व्यंग्य में कहते हैं न, कि ''जब सब लोग भ्रष्टाचार में शरीक हों, तो वह भ्रष्टाचार नहीं, 'शिष्टाचार' हो जाता है।''...और मैंने इतने लोगों के इस 'शिष्टाचार' का विरोध किया था, यानी 'अशिष्टाचार' किया था। मैं सोच रहा था कि अब बेचारा कण्डक्टर भी चुपचाप इस शिष्टाचार में शरीक हो जायेगा, और दिल्ली तथा कानपुरवालों की तरह 'सज्जन' बन जायेगा।

''उस लड़के को जरा सबके सामने लाइए तो साहब।'' कण्डक्टर ने उन यात्री महोदय से कहा, जो अबतक अपने हाथ में नोट थामे खड़े थे। ''अगर आप सब लोग मिलकर एकसाथ कह दें कि यह लड़का ३ साल से कम उमर का है तो मैं छोड़ दूंगा।'' कण्डक्टर ने बहुत ही गम्भीर आवाज में कहा।

लड़का सबके सामने लाया गया। अब कोई कैसे कहे कि इस लड़के की उमर ३ साल से कम है? साफ मालूम पड़ता था कि उसकी उमर ५ साल से कम नहीं होगी। सब लोग चुप! ''…बोलते क्यों नहीं आप लोग, कहिए कि इस लड़के की उमर…या इस लड़के के बाप ही कह दें कि इसकी उमर ३ साल से कम है, मैं छोड़ दूंगा।'' कण्डक्टर ने कुछ चुनौती देते हुए कहा।

दो-तीन सज्जनों ने मिलीजुली आवाज में मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, ''साहब, आपने ही मामले को इतनी दूर पहुँचाया है, आप ही कह दीजिए, बात खत्म हो।'' मैंने कुछ चुटकी लेते हुए कहा, ''पंच-परमेश्वर की बात सर आँखों पर, आप लोग जब यह नहीं कह सकते कि लड़का ३ साल से कम उम्र का है, तो मैं आपकी राय के खिलाफ कैसे जा सकता हूं?'' मेरी बात सुनकर डब्बे के तनावपूर्ण वातावरण में मिली-जुली खिलखिलाहट गूंज उठी।

…और यात्री महोदय ने चुपचाप जुर्माने सहित टिकट के रुपये कण्डक्टर को थमा दिये, और कण्डक्टर ने टिकट बनाकर राहत की सांस ली।●

नाटक : सत्य घटना पर आधारित

हृदय-परिवर्तन

पात्र-परिचय

मनेश्वर बाबू—गांव के सबसे बड़े भू-स्वामी
माँ (महेश्वरी देवी)—मुनेश्वर बाबू की पत्नी
राजू—मुनेश्वर बाबू का पुत्र, कालेज का विद्यार्थी
रंजू—मुनेश्वर बाबू की पुत्री

ग्रामदान-यात्री-दल

मिनती दीदी—दल की नेत्री
रागिनी—सेविका
भानू दीदी—शिक्षिका

(मनेश्वर बाबू ठाट से बैठे हुक्का पी रहे हैं।)

नेपथ्य से ध्वनि :

राष्ट्रयज्ञ मूर्तिमान
होना ही है ग्रामदान
क्षुधा-पीड़ा का अवसान
करे मात्र ग्रामदान।

हमारा मंत्र जय जगत्
हमारा तंत्र ग्रामदान
ग्राम-स्वराज्य प्रतिष्ठित हो
स्त्री-शक्ति जाग्रत हो।

(यात्री-दल के प्रकट होते ही, मुनेश्वर बाबू उपेक्षा से मुंह दूसरी ओर फेर लेते हैं, उन्हें बैठने के लिए भी नहीं कहते।)

माँ : आइए, आइए, बैठिए। आप लोग… …

मिनती दीदी : कल 'नामघर' में हुई सभा के सब समाचार आपने सुने होंगे। गाँव के सभी परिवारों ने 'दान-पत्र' पर हस्ताक्षर कर दिये। आपका ही घर बाकी है।…

www.vinoba.in

(एकान्त में बातें)

माँ : हम लोग गाँव से अलग रहकर कैसे काम चला सकेंगे ? सोच लीजिए।···हस्ताक्षर कर देना चाहिए।

राजू : पिताजी, मैंने खूब समझा है। कई जगह जाकर देखा भी है। 'सीलिंग' के कानून द्वारा सरकार हमारी भूमि ले सकती है। सरकार ने ग्रामदान-कानून बनाकर इसे मान्यता दी है। ग्रामदान से भूमि 'ग्रामसभा' के नाम हो जायगी। ग्रामसभा में हम सभी रहेंगे। इसके निर्णय सर्वसम्मति से होंगे। सरकारी कर्मचारियों का दबदबा नहीं चलेगा।

मुनेश्वर बाबू : (आवेश में) महिला यात्री-दल सर्वनाश कर रहा है। तुम भी राजू, कालेज में यही पढ़ते हो ? मैं किसीकी सुननेवाला नहीं।

माँ : सवारी ज्यादा हो तो कम पानी में भी नाव चल सकती है। यानी, अगर सब लोग चाहते हैं, तो वह काम जरूर होकर रहेगा। इसलिए आपको सबके साथ ग्रामदान में शामिल होना चाहिए।

मुनेश्वर बाबू : ग्रामदान-वामदान कुछ नहीं। स्त्रियाँ देश चौपट कर रही हैं। जब से एक स्त्री प्रधानमंत्री बनी है, देख रहे हैं कि क्या-क्या अनर्थ हो रहा है ! जिस घर में स्त्री की बुद्धि से काम होता है, वह घर कभी बचा है ? भगवान ही हमारे गाँव की रक्षा करें अब तो !

रागिनी : पिताजी, आपके घर में झगड़ा पैदा करने हम नहीं आयी हैं। आप अच्छी तरह सोच-विचार लें। कृपा कर माताजी और दूसरों पर नाराज न हों।

माँ (अपने आप) : हे प्रभु, मेरे पतिदेव इतनी सीधी-सी बात नहीं समझते ! भूमि तो सदा हमारे हाथ में रहेगी नहीं। बुद्धि से काम करके, गौरव पाने का यह सुअवसर है। इसमें सबकी भलाई है। ये लड़कियाँ भला अपने लिए क्या चाहती हैं ? (दृढ़तापूर्वक) राजू बेटा, ले मेरे अंगूठे का टीप। दानपत्र पर 'ये' सही नहीं करते, तो मैं अपना भाग दूँगी।

भानू दीदी : माताजी, आप अधीर न हों। आपका यह उत्साह दूसरे महान कार्यों में लगना चाहिए। सती जयमती और रानी लक्ष्मीबाई की शक्ति नारी जाति में जागृत कर नया समाज बनाना है।

मिनती : आप हमारा नेतृत्व करें। घर-घर जाकर बहनों को जगायें।

माँ : स्त्रियाँ अपने हिस्से की जमीन दान कर दें, या चाहे जो करें···

रंजू (यात्री-दल से) : मैं आप लोगों की भाँति घूम-घूमकर सद्बुद्धि का प्रचार करूँगी। स्कूल-कालेज की पढ़ाई-लिखाई में क्या धरा है ?

मिनती : रंजू, तुम भी जल्दी न करो। पहले योग्यता प्राप्त करो। स्त्री-जागरण के लिए बहुत काम करना है।

रंजू : आज के विद्यालयों में क्या शिक्षा मिलती है ? हर जगह राजनीति ! इसे उठाओ, उसे गिराओ। जात-पाँत, हड़ताल, काम-धाम बंद !···यहाँ घर में भी बेबसी। पिताजी हमारी बात ही नहीं सुनते !

मुनेश्वर बाबू (चिंतन करते हुए) : हे भगवान ! सभी मुझसे विपरीत ! गाँव के सब घरों से हस्ताक्षर हो गये। मैं अकेला। घर में लड़का, लड़की, पत्नी भी उन्हीं सबकी राह पर।···

मिनती : पिताजी, हम लोगों का काम है समझाना। आँख मूँदकर कोई हस्ताक्षर करता है तो उसमें हमारा क्या पराक्रम है ! आपके पास बार-बार आने से हम आनंदित हैं। हमारा शिक्षण हो रहा है।

(मुनेश्वर बाबू फार्म माँगकर पढ़ते हैं, हस्ताक्षर करते हैं।)

मुनेश्वर बाबू : आप लोग बतलाइए कि अब आगे गाँव की भलाई कैसे होगी ? जो भूमिहीन अब भूमिवान बनेंगे, वे कल चाहे जो करेंगे ! मेरी पत्नी, बेटी, बेटा मेरी राय के विरुद्ध भी हस्ताक्षर करने को तैयार थे। कल इसी तरह नये भूमिवान अपना-अपना भाग बेच दें तो ?

भानू दीदी : नहीं, पिताजी। ग्रामसभा की सर्वसम्मति के बिना, कोई व्यक्ति भूमि बेच नहीं सकता। ग्रामसभा का ग्राम-माता का पद है। सब अपनी-अपनी कमाई में से बराबर 'ग्राम-कोष' में देंगे। उस कोष से सबकी भलाई का, गाँव के विकास का काम होगा।

मुनेश्वर बाबू (मानो बोध प्राप्त हुआ हो) : आप लोग कहाँ से आयी हैं ?

(परिचय)

मुनेश्वर बाबू (जलपान देते हुए) : सत्कार में कमी के लिए मुझे क्षमा कर दो।

यात्री-दल : हम सब परम आभारी हैं आपके।

रागिनी : अब आपको एक ही बेटी नहीं है, पिताजी।

रंजू (यात्री-दल से गले मिलकर) : हम इतनी बहनें हैं !

माँ (चारों को बाहों में लेते हुए) : मेरी इतनी बेटियाँ !

राजू (हर्षविभोर होकर, गद्गद कंठ से) : और मैं इतनी बहनों का भाई !

—रेणुबहन साइकिया

काम सब के लिये

जब तक कि एक भी भला चंगा पुरुष या स्त्री बेरोज़गार या भूखा रहे, तब तक हमें खाली बैठने में या भरपेट खाना खाने में शर्म आनी चाहिये।

(यंग इण्डिया, ६ अक्तूबर, १९२१)

महात्मा गांधी

MAHATMA GANDHI
BIRTH CENTENARY
OCT. 2, 1968 TO
FEB 22, 1970
महात्मा गांधी
जन्म शताब्दी
अक्तूबर 2, 1968 से
फरवरी 22, 1970

'गाँव की बात' : वार्षिक चन्दा : चार रुपये, एक प्रति : अठारह पैसे
सम्पादक : राममूर्ति : सर्व सेवा संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१